



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 चैत्र 1940 (श10)

(सं0 पटना 295) पटना, मंगलवार 3 अप्रील 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

3 अप्रील 2018

एस०ओ० 164, दिनांक 3 अप्रील 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 55 के अनुसार, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अधीन अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र संगठन के किसी विशिष्ट अभिकरण या किसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन को, विदेशों के वाणिज्यिक दूतावासों या राज दूतावासों को और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को, जिसे इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्दिष्ट कर सकेगी (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति कहा गया है), जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के अधिसूचित प्रदायों पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार होंगे ;

और कि राज्य सरकार ने, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 द्वारा, जो बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, में सं0 563, तारीख 29 जून, 2017, अधिसूचना सं0 एस. ओ.103, तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जिनका अंतिम बार संशोधन सं0 262, तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 एस. ओ.155, तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा किया गया था, उक्त अधिनियम की धारा धारा 55 के अधीन कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए शर्तें और निबंधन अधिकृत किए हैं ;

और कि उक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (2) के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन यथा अधिसूचित विनिर्दिष्ट व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों पर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय के हकदार होंगे, वे ऐसे प्रतिदाय के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस

तिमाही के, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया था, अंतिम दिन से छह मास की समाप्ति के पूर्व आवेदन कर सकेंगे ;

और कि उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्रतिदाय का दावा फाइल करने की सुविधा अभी हाल हाल ही में सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है ;

अतः, अब, बिहार-राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो अधिकारिता वाले कर अधिकारी को, यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में, ऐसी तिमाही के, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया था, अंतिम दिन से अठारह मास की समाप्ति से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों पर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय के लिए आवेदन करेंगे ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-1015)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
वाणिज्य-कर आयुक्त।

3 अप्रिल 2018

एस०ओ० 164, दिनांक 3 अप्रिल 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-1015)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
वाणिज्य-कर आयुक्त।

The 3rd April 2018

S.O. 164, dated 3rd April 2018— Whereas, as per section 55 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify any specialised agency of the United Nations Organisation or any Multilateral Financial Institution and Organisation notified under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), Consulate or Embassy of foreign countries and any other person or class of persons as may be specified in this behalf (hereafter in this notification referred to as the specified persons), who shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to claim a refund of taxes paid on the notified supplies of goods or services or both received by them;

Whereas, the State Government has laid down the conditions and restrictions for claiming of refund of taxes under section 55 of the said Act vide the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, published in Bihar Gazette, Extraordinary, No. 563, dated the 29th June, 2017 vide S.O. No. 103, dated the 29th June, 2017, and last amended by S.O. No. 155, dated the 23rd March, 2018 published in Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 262, dated the 23rd March, 2018;

Whereas, as per sub-section (2) of section 54 of the said Act, the specified persons, as notified under section 55 of the said Act, are entitled to a refund of tax paid by them on inward supplies of goods or services or both, may make an application for such refund, in such form and manner as may be prescribed, before the expiry of six months from the last day of the quarter in which such supply was received;

Whereas, the facility for filing the claim of refunds under section 55 of the said Act has been made available on the common portal recently;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 148 of the said Act, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the specified persons as the class of persons who shall make an application for refund of tax paid by it on inward supplies of goods or services or both, to the jurisdictional tax authority, in such form and manner as specified, before the expiry of eighteen months from the last date of the quarter in which such supply was received.

2. This notification shall come into force with effect from 28th March, 2018.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017(Part-I)-1015)]

By the order of Governor of Bihar,

DR.PRATIMA,

Commissioner Commercial Taxes.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 295-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>